प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

पीठ: माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा एवं

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायाधीशगण

दांडिक अपील क्रमांक 1317/2003

अपीलकर्ता (जेल में) — नरेश उर्फ पप्पू, पिता रामशरण, आयु 24 वर्ष, निवासी भैंस बोड़काज, ओपी डाडी, वर्तमान में एम.आई.टी., कोनी, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी — छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी नवागढ़, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

तथा

दांडिक अपील क्रमांक 1029/2003

अपीलकर्ता

लखन उर्फ लाखन सिंह, पिता जगेश्वर सिंह, आयु 52 वर्ष, निवासी जेवरा, खमरिया,वर्तमान निवास भैंसबोड़कलाम, चौकी दरही, तहसील बेमेतरा, जिला दुर्ग (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना नवागढ़, जिला दुर्ग (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपीलें)

उपस्थित:

श्री एन.के. मेहता, अधिवक्ता तथा श्रीमती किरण जैन, अपीलकर्ता के अधिवक्ता गण (दं. अपील क्रमांक 1317/2003)

श्री हरप्रीत सिंह अहलूवालिया, अपीलकर्ता के अधिवक्ता (दं. अपील क्रमांक 1029/2003)

श्री संदीप यादव, उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य पक्ष के लिए

मौखिक निर्णय (12.07.2010)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा द्वारा घोषित किया गया:

1. दंडिक अपील क्रमांक 1317/2003, जो अपीलकर्ता नरेश उर्फ पप्पू द्वारा दायर की गई है, तथा दंडिक अपील क्रमांक 1029/2003, जो अपीलकर्ता लखन उर्फ लाखन सिंह द्वारा दायर की गई है का निपटारा उस समान निर्णय द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि दोनों अपीलकर्ताओं को माननीय तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , बेमतरा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 52/03 में दिनांक 10 सितंबर, 2003 को पारित निर्णय के निम्न प्रकार से अनुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया गया है,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>अपीलकर्ता - नरेश</u>

दोषसिद्धि	**दंड**
भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत	आजीवन कारावास तथा ₹25,000/- का जुर्माना। जुर्माना अदा न करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास।

धारा 450 भ.द.स. के तहत	3 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹5,000/- का जुर्माना। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त 6 माह का कठोर कारावास।

<u>अपीलकर्ता - लखन सिंह</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोषसिद्धि	दंड
धारा 109/120-ख सहपठित धारा 302 भ.द.स. के तहत	आजीवन कारावास तथा ₹25,000/- का जुर्माना। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त 2 वर्ष का कठोर कारावास।
धारा 109/120-ख सहपठित धारा 450 भ.द.स. के तहत	3 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹5,000/- का जुर्माना। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त 6 माह का

	कठोर कारावास।

सभी सजाओं को एकसाथ चलने का आदेश दिया गया है।

2. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त कथन, जैसा कि "आक्षेपित निर्णय" में वर्णित है— अपीलकर्ता नरेश और उसकी पत्नी पुष्पा लता के बीच विवाद चल रहा था।इसी कारण पुष्पा लता अपनी ननिहाल—अपनी नानी गीताबाई के साथ रहती थी। नरेश, पुष्पा लता पर यह दबाव डालता था कि गीताबाई की संपत्ति उसके नाम करवाई जाए। सह–अभियुक्त लखन सिंह का भी गीताबाई के परिवार के साथ पुराना जमीन/संपत्ति संबंधी विवाद था। मृतका गीता बाई के साथ उपरोक्त विवादों के कारण, अपीलकर्ता लखन ने अपीलकर्ता नरेश के साथ आपराधिक षड्यंत्र कर नरेश को गीताबाई की हत्या करने के लिए उकसाया। फलस्वरूप 17.12.2002 को प्रातः लगभग 8 बजे नरेश गीताबाई के घर में घुस गया और कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। उसने घटना के बाद हथियार को एक तलाब में फेंक दिया। कुमारी अल्का, जो नरेश की साली है, ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा। जब नरेश को पता चला कि अल्का ने उसे देख लिया है, तो उसने उस पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह एक कमरे में भागकर अपनी जान बचाने में सफल रही। इसके बाद अपीलकर्ता नरेश घटनास्थल से फरार हो गया।

3. अपीलीय पक्ष के लिए उपस्थित अधिवक्ता श्री नीरज मेहता तथा श्रीमती किरण जैन ने अपीलकर्ता नरेश की ओर से यह तर्क दिया कि यदि अल्का (प्रत्यक्षदर्शी) की गवाही को विश्वसनीय मान भी लिया जाए— फिर भी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नरेश को धारा 302 भ.द.स. के तहत दोषसिद्ध करना उचित नहीं था। उनके अनुसार, यदि कोई अपराध सिद्ध होता भी है, तो वह धारा 304 भाग–I या भाग–II के अंतर्गत आता है, न कि 302 के अंतर्गत। अभिलेख में उपलब्ध प्रमाण— विशेषकर पुष्पलता उर्फ संजू (अभियोजन साक्षी–5) की गवाही—से यह स्पष्ट होता है कि पूरा अपराध लखन द्वारा रचा गया था, और नरेश ने लखन सिंह के कहने पर यह कृत्य किया, उसका स्वयं का हत्या करने का कोई पूर्व आशय नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलकर्ता लखन सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री एच.एस. अहलूवालिया ने जोरदार तर्क दिया कि लखन सिंह और नरेश के बीच किसी प्रकार के आपराधिक षड्यंत्र का कोई प्रमाण नहीं है। यद्यपि पुष्पा लता (अभियोजन साक्षी –5) स्वयं को नरेश द्वारा किए गए कथित न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की साक्षी बताती हैं, वह यह बयान देती है कि—घटना के तीन दिन पहले, दिनांक 14.12.2002 को, उसके पति

(नरेश) ने उससे कहा था कि—उसे लखन सिंह ने "कॉन्क्ट्रैक्ट" (सुपारी) दी है (अंश यहीं तक उपलब्ध है) पुष्पा लता (अभियोजन साक्षी –5) ने अपने बयान में कहा कि लखन ने उसे गीताबाई की हत्या का "कॉन्ट्रैक्ट (सुपारी)" दिया था, परंतु उसकी डायरी बयान (प्रदर्श–डी/2) में ऐसी किसी भी सुपारी या अनुबंध का उल्लेख नहीं है यह भी तर्क दिया गया कि लखन सिंह के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज बयान में—षड्यंत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया, फिर भी विचारण न्यायालय ने उसी आधार पर उसे दोषी ठहराया, जो कि न्यायसंगत नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मध्य प्रदेश राज्य बनाम पल्टन मल्लाह (AIR 2005 एससी 733) पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया कि किसी एक सह–अभियुक्त द्वारा दिए गए न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के आधार पर कि उसने दूसरे सह–अभियुक्त द्वारा दिए गए (सुपारी) पर हत्या की केवल इसी आधार पर धारा 120–ख भ.द.स. (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषसिद्धि नहीं की जा सकती, जब तक कि उसे समर्थन करने वाला कोई अन्य पुष्टिकारी साक्ष्य उपलब्ध न हो। इस संबंध में निम्न निर्णयों पर भी भरोसा किया गया अजय सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य, प्रकाशित — 2007 (3) क्राइम I (एस.सी.),बलदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य,

प्रकाशित — (2009) 6 एस.सी.सी. 564, तथासुधीर शांतीलाल मेहता बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो प्रकाशित — (2009) 8 एस.सी.सी. 1

6. दूसरी ओर, राज्य पक्ष के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि संजू उर्फ पुष्पा लता के बयान से स्पष्ट है कि दोनों अपीलकर्ताओं के बीच षड्यंत्र स्थापित होता है। इसके अलावा, नरेश के प्रकटीकरण बयान (प्रदर्श–पी/5), जिसे जगराखन सिंह (अभियोजन साक्षी–1) ने सिद्ध किया है, से यह स्पष्ट होता है कि नरेश ने लखन के साथ षड्यंत्र करके गीताबाई की हत्या की। साथ ही, विचारण के दौरान में नरेश के विरुद्ध जो भी साक्ष्य सिद्ध होते हैं, वे साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत लखन के विरुद्ध भी स्वीकार्य हैं, क्योंकि यह षड्यंत्र के दौरान किए गए कार्यों और बयानों से संबंधित है। केहर सिहं बनाम राज्य, एआईआर 1988 एससी के निर्णय का उल्लोख लिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7.हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं तथा अभिलोख और "आक्षोपित निर्णय" का अवलोकन किया।

8.विचारण न्यायायल ने कु. अल्का (अभियोजन साक्षी–4) की गवाही तथा डॉ. नरेश तिवारी की गवाही (जिन्होंने शवपरीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श–पी/10 को सिद्ध किया) पर भरोसा करते हुए यह माना कि मृतका की मृत्यु हेमरेज के कारण शॉक

से हुई, मृत्यु मानवध प्रकृतिकी है,और यह कि अपीलकर्ता नरेश ने दिनांक 17.12.2002 को सुबह 8 बजे मितका के घर के भीतर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या की।

9.अभिलेख जैसे शवपरीक्षण प्रतिवेदन, डॉ. नरेश तिवारी की गवाही, तथा कु. अल्का (अभियोजन साक्षी–4) की गवाही—का अवलोकन करने पर हमारा मत है कि विचारण न्यायालय का निष्कर्ष पूरी तरह उपलब्ध साक्ष्यों पर आधारित है, और इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. जहाँ तक अपीलकर्ता नरेश के अधिवक्ताओं—श्री नीरज मेहता एवं श्रीमती किरण जैन—के इस तर्क का संबंध है कि: नरेश का गीताबाई की हत्या करने का कोई आशय नहीं था,और उसने यह कृत्य केवल सह-अभियुक्त लखन के कहने पर किया,इसलिए उसे भ.द.स. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराना उचित नहीं है हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि: यह संदेह से परे सिद्ध है कि नरेश पूर्व में भी मृतिका को मारता-पीटता था, और घटना के दिन वह स्वयं कुल्हाड़ी लेकर मृतिका के घर आया, जिससे यह स्पष्ट है कि हत्या का आशय मौजूद था। उसने उसकी महत्वपूर्ण मार्मिक अंगों पर बेरहमी से प्रहार किया, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। इसलिए, हमारा यह हैं कि अभियुक्त नरेश का सत्र न्यायालय

द्वारा किया गया दोषसिद्धि का निर्णय विधिवत अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही है।

11. अब हमारे समक्ष विचार हेतु प्रश्न यह है कि क्या सत्र न्यायालय ने अभियुक्त लखन को धारा 109/120-ख के साथ-साथ धारा 302 एवं 450 भा.द.सं. के तहत मृतिका की उसके घर के अंदर हत्या करने के अपराध में दोषी ठहराना उचित था?

12. सत्र न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की साक्षी पुष्पा लता (अभियोजन साक्षी -5) के कथन पर विश्वास करते हुए यह माना कि दोनों अभियुक्तों के बीच गीता बाई की हत्या करने की साजिश थी। उसके बयान के आधार पर यह माना गया कि घटना से 2–4 दिन पूर्व नरेश ने अपनी पत्नी पुष्पा लता के सामने एक (न्यायिकेतर संस्वीकृति) किया था, जिसमें उसने बताया था कि अभियुक्त लखन ने उसकी नानी की हत्या करने का ठेका उसे दिया है। यह तथ्य बताने के बाद वह घर से चला गया। उसने यह भी बताया कि उसने लखन से कृषि भूमि खरीदी है और वह उसके पंजीयन के लिए जा रहा है। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। दिनांक 17.12.2002 को उसकी नानी की हत्या कर दी गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. पुष्पा लता (अभियोजन साक्षी -5) ने अपनी जिरह के कंडिका 3 में कहा कि घटना से 2–4 दिन पहले नरेश रात में नशे की हालत में घर आया और उसने

बताया कि नवागढ़ गाँव में उसकी और अभियुक्त लखन की बातचीत हुई थी, जिसमें लखन ने उसकी नानी की हत्या करने के लिए उसे लगाया था। अगली ही सुबह, अर्थात् दिनांक 14.12.2002 को वह यह कहकर घर से निकल गया कि वह लखन की कृषि भूमि का पंजीयन करवाने जा रहा है, और उसके बाद दिनांक 17.12.2002 को उसकी नानी की हत्या हो गई। उसने आगे कहा कि उसने कहा कि उसने यह बात अपनी माँ को बताई थी, किंतु उसकी माँ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. जिरह के दौरान उसे प्रदर्श-डी/2 (डायरी कथन) से सामना कराया गया, जिसमें यह उल्लेख नहीं है कि लखन ने नरेश को गीता बाई की हत्या करने के लिए कोई सुपारी दिया था। हालांकि, उसने कहा कि उसने यह तथ्य पुलिस को बताया था और वह यह नहीं समझा सकती कि उसके डायरी कथन में यह बात क्यों दर्ज नहीं है। इस लोप को चुमुक लाल (अभियोजन साक्षी -9), प्रधान आरक्षक ने सिद्ध किया, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पुष्पा लता (अभियोजन साक्षी -5) ने अपने प्रदर्श-डी/2 वाले डायरी कथन में यह नहीं बताया था कि पप्पू उर्फ नरेश ने उसे कहा था कि लखन ने उसकी नानी की हत्या करने का ठेका दिया है।

15. राज्य पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षी -5 के कथन के अतिरिक्त कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो नरेश द्वारा दोनों अभियुक्तों की साजिश संबंधी की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति को सिद्ध कर सके। अतः प्रदर्श-डी/2 में पुष्पा लता (अभियोजन साक्षी -5) के डायरी कथन में इस महत्वपूर्ण कमी को ध्यान में रखते हुए, हमारा मत है कि अभियुक्तों के बीच साजिश का कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है।

16. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज लखन के बयान का अवलोकन करने पर हम यह पाते है कि (अभियोजन साक्षी-5) के बयान पर आधारित साजिश संबंधी परिस्थितियाँ अभियुक्त लखन से पूछे ही नहीं गए। लखन से यह प्रश्न भी नहीं पूछा गया कि उसने नरेश को गीता बाई की हत्या करने के लिए लगाया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अजय सिंह (पूर्वोक्त) के मामले में, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त के परीक्षण के उद्देश्य पर विचार करते हुए यह कहा गया है कि अभियुक्त से परीक्षा का उद्देश्य उसे यह अवसर देना कि उसके विरुद्ध प्रस्तुत किए गए मामले के संबंध में वह अपनी सफाई दे सके। इस कथन को उसकी दोषसिद्धि या निर्दोषता का निर्धारण करते समय ध्यान में रखा जा सकता है। उपधारा (1)

(ख) में प्रयुक्त शब्द का अर्थ है कि प्रश्न पूरे मामले से सामान्य रूप से संबंधित होना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उसके किसी विशिष्ट भाग से भी। किसी अभियुक्त को ऐसे कथन या परिस्थिति पर सफाई न देने के आधार पर दोषी ठहराना, जिसके बारे में उससे कभी पूछा ही नहीं गया हो — कानून की दृष्टि से अवैध है।

18. राज्य बनाम पल्टन मल्लाह (पूर्वोक्त) के मामले में भी अभियुक्तों के विरुद्ध सिद्ध किया जाने वाला अभियोगात्मक परिस्थितिया श निषाद के समक्ष एक न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी, जिसमें उसने ए-1, ए-2, ए-5 और ए-6 के नाम बताए थे कि उन्होंने उसे शंकर गुहा नियोगी की हत्या करने के लिए पैसे दिए थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के तहत सह-अभियुक्त द्वारा की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति केवल सहायक साक्ष्य के रूप में ही स्वीकार की जा सकती है। जब इन अभियुक्तों के विरुद्ध कोई सारभूत साक्ष्य मौजूद नहीं है, तब नौवें अभियुक्त की कथित न्यायिकेतर संस्वीकृति का कोई महत्व नहीं रह जाता और केवल उसी आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. सुधीर शांतिलाल मेहता (पूर्वोक्त) में, भारतीय दंड संहिता की धारा 120-क के तहत आपराधिक षड़यंत्र के घटको पर विचार करते हुए यह कहा गया है कि

अपराधिक षड़यंत्र करने के लिए मस्तिष्को को पूर्व मिलन स्थापित होना आवश्यक है। केवल ज्ञान होना या बातचीत होना, अपने आप में, अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

20. बलदेव सिंह (पूर्वोक्त) में भी इसी प्रकार के विचार न्यायालय ने निर्णय के कड़िका 17 में दोहराए हैं।

21.कहर सिंह (पूर्वोक्त) के मामले में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के संदर्भ में षड़यंत्र से संबंधित साक्ष्य की सिसंगता पर विचार करते हुए, कड़िका 44 में यह कहा गया है कि जब न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाए कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी अपराध को करने के लिए षड़यंत्र रची गई है, तो यह आवश्यक है कि यह प्रथमदृष्टया सिद्ध हो कि वह व्यक्ति वास्तव में उस षड़यंत्र का भागीदार था। केवल तभी उसके द्वारा किए गए कार्य, कथन या लिखित सामग्री को सह-साजिशकर्ताओं के विरुद्ध उपयोग किया जा सकता है। एक बार यदि ऐसा युक्तियुक्त आधार स्थापित हो जाए, तो किसी भी एक षड्यंत्रकारी द्वारा साझा सामान्य आशय की पूर्ति के संदर्भ में कही, कही गई, लिखी गई अथवा की गई कोई भी बात, उस उद्देश्य के उत्पन्न होने के बाद, अन्य सह-साजिशकर्ताओं के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध न केवल षड़यंत्र के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए बल्कि यह सिद्ध करने के लिए भी सिसंगत होती है कि दूसरा व्यक्ति भी उस षड़यंत्र का हिस्सा था।

22. वर्तमान मामले में, जैसा कि हमने पूर्ववर्ती कड़िकाओं में उल्लेख किया है, अभियोदन साक्षी-5 के कथन में षड़यंत्र संबंधी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं प्रतीत होता और उसके प्रदर्श-डी/2 वाले डायरी कथन में यह तात्विक लोप है कि अभियुक्त नरेश ने यह स्वीकार किया था कि उसे अभियुक्त लखन ने गीता बाई की हत्या करने के लिए लगाया था। हमने यह भी पाया कि कथित सह-अभियुक्त की स्वीकारोक्ति के अतिरिक्त, लखन को साजिशकर्ता के रूप में शामिल करने हेतु कोई अन्य संपोषक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. जहाँ तक राज्य पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस तर्क का प्रश्न है कि दोनों अभियुक्तों की साजिश सिद्ध करने के लिए नरेश का प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श-पी/5) भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के तहत ग्राह्य है — यह तर्क स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि धारा 10 तभी लागू होती है, जब अभियोजन पहले से यह प्रथमदृष्टया सिद्ध कर दे कि संबंधित व्यक्ति षड़यत्र का सदस्य था, तभी उसके बाद के कृत्य...उक्त कथन का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना के आधार पर प्रकट किया गया तथ्य

ही स्वीकार्य होता है, तथा प्रकटीकरण कथन का शेष अभियोगात्मक हिस्सा स्वीकार्य नहीं होता।

24. उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, हमारा मत है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त नरेश और अभियुक्त लखन के मध्य गीता बाई की हत्या करने की आपराधिक षड़यंत्र सिद्ध करने में पूरी तरह असफल रहा है। अतः सत्र न्यायालय द्वारा लखन को धारा 302 तथा धारा 452 के तहत धारा 109/120-ख के तहत दोषी ठहराना उचित नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. फलस्वरूप, अभियुक्त लखन उर्फ लाखन सिंह द्वारा दायर की गई अपील स्वीकार की जाती है। अभियुक्त की धारा 109/120-ख सहपठित धारा 302 तथा धारा 109/120-ख सहपठित धारा 450 भा.द.स. के अंतर्गत की गई दोषसिद्धि और उन पर आधारित दंडादेश को अपास्त किया जाता है। वह जमानत पर है, अतः उसके जमानती बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है।

26. जहाँ तक अभियुक्त नरेश उर्फ पप्पू द्वारा दायर अपील का प्रश्न है, उसे खारिज किया जाता है तथा सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश की पुष्टि की

जाती है।

सही/- सही/-

धीरेंद्र मिश्रा, आर. एन. चंद्राकर,

न्यायाधीश न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By ---------- Ishan Sharma